

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 30/2022

तारीख रजू:- 30.05.2022

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. सीताराम | पिसरान भब्बू
2. गोरधन | जाति जाट
3. श्रीमति सुपीता पुत्री भब्बू
4. श्रीमति भगवती बेवा भब्बू जाति जाट निवासी लहचौडा, तहसील सूरौठ, जिला करौली राजस्थान _____ प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर जिला करौली राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान _____ अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट

उपस्थित :- 1. श्री राघवेन्द्र जैमनी एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :- 23.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट विरुद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजी खं० नं० 1245 रकबा 0.52 हैक्टेयर चाही 1 स्थित ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भब्बू व वादी सं० 4 के पति का नाम भब्बू हिस्सा क्रमशः 1/96 प्रार्थीगण की वलदीयत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं० 2070 से 2073 नवीन खाता सं० 190 में भम्बू कर दिया है जो कतई गलत है जो राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों ने नवीन खाता सं० 190 में कर दिया है जो काबिले दुरुस्ती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खं० नं० 1156 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, 1332 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 1439 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, 336 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 337 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 970/2 रकबा 0.2200 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.9700 हैक्टेयर स्थित ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)


सं० 1 ता 3 के पिता भबू एवं वादी सं० 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/6 का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं० 2070 से 2073 नवीन खाता सं० 194 में भबू पुत्र रामजीलाल राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने गलत दर्ज कर दिया है जो काबिले दुरुस्ती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजी खं० नं० 1310 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गैर मु० कुआँ, 1453 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, 1760 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, जांव प्रथम कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.24 हेक्टेयर स्थित ग्राम लहचौडा, तहसील सूरौठ में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल व वादी के पति सं० 4 का नाम नवीन खाता सं० 195 सम्बत 2070 से 2073 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने भबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर दिया है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि आराजी खं० नं० 1737 रकबा 0.2000 चा० 1 व 1737 रकबा 0.2000 जाव प्रथम कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.2000 हेक्टेयर स्थित ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की जमाबंदी सं० 2070 से 2073 के नवीन खाता सं० 225 में प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/8 एवं वादी सं० 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल का नाम राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने भबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर दिया है जो काबिले दुरुस्ती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि आराजी खं० नं० 1546 रकबा 0.0100 गैर कुँआ, 1551 रकबा 0.0900 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.1000 हेक्टेयर ग्राम स्थित लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है जिसकी जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 खाता सं० 99 में प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू व वादी सं० 4 के पति भबू हिस्सा 1/576 की खातेदारी में राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने भबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर दिया है जो काबिले दुरुस्ती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि आराजी खं० नं० 1391 रकबा 0.0300 हेक्टेयर गैर मु० कुँआ स्थित ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है जिसकी जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 नवीन खाता संख्या 180 में प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल व वादी सं० 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/228 की खातेदारी में राजस्व कर्मचारीगण अधिकारीगण ने भबू गलत दर्ज कर दिया जो काबिले दुरुस्ती है।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)


प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि आराजी खं० नं० 1226 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, 1227 रकबा 0.2600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित हैं जिसमें प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल एवं वादी सं० 4 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल की खातेदारी हिस्सा 1/3 में नाम सम्बत 2070 से 203 की जमाबंदी नवीन खाता सं० 117 में गलती से राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने भबूराम पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर दिया है जो काबिले दुरुस्ती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि आराजी खं० नं० 1240 रकबा 0.1400 हैक्टेयर ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है जिसकी जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 के नवीन खाता संख्या 118 में प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल व वादी सं० 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/2 का नाम राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने खातेदारी में गलत नाम बबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर रखा है जो काबिले दुरुस्ती हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं० 1391 रकबा 0.0300 हैक्टेयर ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है जिसकी जमाबंदी सं० 2070 से 2073 में हिस्सा 1/288 में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल व वादी संख्या 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल का नवीन खाता संख्या 100 में राजस्व कर्मचारी व अधिकारीगण ने भबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर दिये हैं जो काबिले दुरुस्ती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि आराजी खं० नं० 1087 रकबा 0.0100 हैक्टेयर ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है जिसकी जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 के नवीन खाता संख्या 133 में प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/24 व वादी सं० 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल का नाम खातेदारी में भबू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/24 का नाम राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने खातेदारी में गलत नाम भबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर रखा है जो काबिले दुरुस्ती हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि आराजी खं० नं० 1103 रकबा 0.1100 हैक्टेयर गैर मु० कुँआ ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है जिसकी जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 के नवीन खाता संख्या 100 में प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/32 व वादी सं० 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/32 की खातेदारी में राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने खातेदारी में गलत नाम भबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर रखा है जो काबिले दुरुस्ती हैं।


उपर्युक्त अधिकारी
हिण्डान सिटी (करौली)


प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि आराजी खं० नं० 1272 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, 1273 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, 1274 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, 1275 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, 1276 रकबा 0.700 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.4500 हैक्टेयर भूमि ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ में स्थित है जिसकी जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 के नवीन खाता संख्या 198 में प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल व वादी सं० 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/72 की खातेदारी में राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने भबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर रखा है जो काविले दुरुस्ती हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नं. 1 ता 4 में प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल व वादी सं० 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल का नाम हाल जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 क्रमशः नवीन खाता सं० 190, 194, 195, 225, के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने भबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर दिया है जिसे दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 14 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नं. 6 ता 8 में दर्ज भूमियों में प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल व वादी सं० 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल का नाम हाल जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 नवीन खाता सं० क्रमशः 99, 100, 117 में राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने हाल जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 के खातेदारी में भबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर दिया है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 15 में दर्ज किया है कि मुतजिक्रा मद नं० 9 प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल व वादी के पति सं० 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल का नाम राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने भबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर दिया है जो काविले दुरुस्ती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 16 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नं० 10 लगायत 12 में दर्ज भूमियों में प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भबू पुत्र रामजीलाल व वादी सं० 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल के बजाय हाल जमाबंदी सम्बत 2070 से 2073 में राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने नवीन खाता सं० क्रमश 133, 180, 198 में राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने भबू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर दिया है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)


प्रार्थना पत्र के मद नं. 17 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा नं० 1 ता 12 में दर्ज भूमियों की हाल जमाबंदी संम्बत 2070 से 2073 में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता भब्बू पुत्र रामजीलाल व वादी सं० 4 के पति भब्बू पुत्र रामजीलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से गलत नाम भब्बू पुत्र रामजीलाल, भब्बू पुत्र रामजीलाल, बब्बू पुत्र रामजीलाल व भब्बू पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर दिया है प्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के पिता भब्बू पुत्र रामजीलाल व वादी सं० 4 के पति भब्बू पुत्र रामजीलाल का देवयोग से दिनांक 17.07.2015 को स्वर्गवास हो गया है उनके प्रार्थीगण के नाम उनके पिताजी व पति की उक्त कृषि भूमियों में गलत नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से विरासत का नामान्तकरण नहीं खोला जा रहा है इस कारण आप विपक्षी नं० 1, 2 को नोटिस दिया जाना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 18 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण के पिता व पति भब्बू पुत्र रामजीलाल की अन्य कृषि भूमियों की हाल जमाबंदी संम्बत 2070 से 2073 के नवीन खाता सं० 78, 193, 197, 226 की भूमियों में सही नाम भब्बू पुत्र रामजीलाल सही दर्ज हो रहा है तथा नकल सरपंच ग्राम पंचायत लहचौडा में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम भब्बू पुत्र रामजीलाल दर्ज कर प्रमाण पत्र जारी नकल मृत्यु प्रमाण पत्र तथा नकल आधार कार्ड और नकल राशन कार्ड नकल पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में भब्बू पुत्र रामजीलाल सही दर्ज है। जिनकी नकल पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 19 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नं० 1 ता 12 में दर्ज आराजियात में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम साविक हाल जमाबंदी संम्बत 2070 से 2073 के नवीन खाता सं० 190, 194, 195, 225 तथा 99, 100, 117, 133, 180, 198 में भब्बू पुत्र रामजीलाल का नाम दुरुस्त कराने पटवारी हल्का के पास गये तो प्रार्थीगण से उनके पिता व पति के नाम जमाबंदी में गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने के लिये दावा करने के लिये कह दिया है

प्रार्थना पत्र के मद नं. 20 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 09.02.2022 को अपने वकील द्वारा लीगल नोटिस 2 माह का जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिलवा दिया है। इसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 और 2 ने कोई कार्यवाही नहीं की है इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 21 में दर्ज किया है कि प्रकरण की सुनवाई करने का अधिकार सम्मनीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व अन्दर अवधि पेश है।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डॉन सिटी (करौली)


अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण 1 ता 3 के पिताजी भबू पुत्र रामजीलाल प्रार्थी संख्या 4 के पति भबू पुत्र रामजीलाल के नाम को राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने साविक हाल जमाबंदी संख्या 190, 194, 195, 225 तथा 99, 100, 117, 133, 180, 198 में गलत नाम भबू पुत्र रामजीलाल व भबू पुत्र रामजीलाल बबू पुत्र रामजीलाल के गलत इंद्राजात को अंदर अवधि दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए और ना ही जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। इसलिए दिनांक 09.12.2025 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति सरपंच ग्राम पंचायत लहचौडा पंचायत समिति हिण्डौन द्वारा जारी प्रमाण पत्र, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 2के/531 सीताराम पुत्र भबू निवासी लहचौडा, ग्राम पंचायत लहचौडा, पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र क्रमांक RJ/11/086/051407 भबूराम पुत्र रामजीलाल निवासी मकान नं0 45 लहचौडा तहसील हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर के नाम से दिनांक 21.11.1995 जारी किया गया, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 08107005220007200021/2015 जारी दिनांक 19.03.2019 मृतक भबू पुत्र रामजीलाल निवासी लहचौडा तहसील हिण्डौन जिला करौली मृत्यु दिनांक 13.07.2015, नकल जमाबन्दी सं0 2070-73 किता 15 पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति सरपंच ग्राम पंचायत लहचौडा पंचायत समिति हिण्डौन द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि भबू पुत्र रामजीलाल मृतक के वारिस भगवती पत्नि भबू, सीताराम गोर्धन पुत्र भबू, सुपीता पुत्री भबू – प्रमाणित किया जाता है कि एक उनकी धर्म पत्नि व दो पुत्र एवं एक पुत्री है। पटवारी हल्का आप स्वयं वास्तविक स्थिति जांच कर नियमानुसार इनका नामान्तकरण खुलवाने का श्रम करें।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 2के/531 सीताराम पुत्र भम्बू निवासी लहचौडा, ग्राम पंचायत लहचौडा, पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र क्रमांक RJ/11/086/051407 भम्बूराम पुत्र रामजीलाल निवासी मकान नं0 45 लहचौडा तहसील हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर के नाम से दिनांक 21.11.1995 जारी किया गया है।


फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 08107005220007200021 / 2015 जारी दिनांक 19.03.2019 मृतक भम्बू पुत्र रामजीलाल निवासी लहचौडा तहसील हिण्डौन जिला करौली मृत्यु दिनांक 13.07.2015 के नाम से जारी किया हुआ है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1245 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी गोर्धन पुत्र भम्बू हि0 1/96, भगवती पत्नि भम्बू हि0 1/96, सीताराम पुत्र भम्बू हि0 1/96, सुपीता पुत्री भम्बू हि0 1/96 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1156 रकबा 0.40 है0, 1332 रकबा 0.07 है0, 1439 रकबा 0.10 है0, 336 रकबा 0.09 है0, 337 रकबा 0.09 है0, 970/2 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भम्बू पुत्र रामजीलाल हि0 1/6 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.01 है0, 1453 रकबा 0.12 है0, 1760 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भम्बू पुत्र रामजीलाल हि0 1/12 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1737 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भम्बू पुत्र रामजीलाल हि0 1/8 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल जमाबन्दी सं० 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.01 है० गै०मु०कुआ वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भम्बू पुत्र रामजीलाल हि० 1/24 जाति जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं० 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1700 रकबा 0.18 है० वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भम्बू पुत्र रामजीलाल हि० 1/24 जाति जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।


नकल जमाबन्दी सं० 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.75 है०, 1917 रकबा 0.35 है० वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भम्बू पुत्र रामजीलाल हि० 1/6 जाति जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं० 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1253 रकबा 0.14 है० वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भम्बू पुत्र रामजीलाल हि० 1/12 जाति जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं० 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1546 रकबा 0.01 है० गै०मु० कुआ, 1551 रकबा 0.09 है० वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भम्बू पुत्र रामजीलाल हि० 1/12 जाति जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं० 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.03 है० गै०मु० कुआ वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भम्बू पुत्र रामजीलाल हि० 1/288 जाति जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं० 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.26 है०, 1227 रकबा 0.26 है० वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भवूराम पुत्र रामजीलाल हि० 1/3 जाति जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।


उपरवाला अधिकारी
हिण्डोल सिटी (करोली)

नकल जमाबन्दी सं० 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.01 है० गै०मु० कुआ वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भव्वू पुत्र रामजीलाल हि० 1/24 जाति जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं० 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.14 है० वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भव्वू पुत्र रामजीलाल हि० 1/2 जाति जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं० 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.11 है० गै०मु० कुआ वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भव्वू पुत्र रामजीलाल हि० 1/32 जाति जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं० 2070-73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1272 रकबा 0.16 है०, 1273 रकबा 0.08 है०, 1274 रकबा 0.06 है०, 1275 रकबा 0.08 है०, 1276 रकबा 0.07 है० वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ की खातेदारी भव्वू पुत्र रामजीलाल हि० 1/72 जाति जाट सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।


उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी के पिता का सही नाम भव्वू/भव्वू/भम्बू/भम्बूराम है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए पयाप्त दस्तावेज पेश नहीं किये हैं कि जिनके आधार पर प्रार्थीगण के पिता का नाम भव्वू राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जा सके। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण बाबत विवादित आराजी खसरा नम्बर 1245 रकबा 0.52 है०, 1156 रकबा 0.40 है०, 1332 रकबा 0.07 है०, 1439 रकबा 0.10 है०, 336 रकबा 0.09 है०, 337 रकबा 0.09 है०, 970/2 रकबा 0.22 है०, 1310 रकबा 0.01 है०, 1453 रकबा 0.12 है०, 1760 रकबा 0.11 है०, 1737 रकबा 0.20 है०, 1248 रकबा 0.01 है० गै०मु०कुआ, 1700 रकबा 0.18 है०,


उपरोक्त आधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1246 रकबा 0.75 है0, 1917 रकबा 0.35 है0, 1253 रकबा 0.14 है0, 1546 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, 1551 रकबा 0.09 है0, 1391 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 कुआ, 1226 रकबा 0.26 है0, 1227 रकबा 0.26 है0, 1087 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, 1240 रकबा 0.14 है0, 1103 रकबा 0.11 है0 गै0मु0 कुआ, 1272 रकबा 0.16 है0, 1273 रकबा 0.08 है0, 1274 रकबा 0.06 है0, 1275 रकबा 0.08 है0, 1276 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम लहचौडा तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फँसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हेमराज गुर्जर) 23/12/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली